कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

(प्रशिक्षण निदेशालय)

क्रमांक:प–11(1)प्रशि0 / पॉलिसी / स्थाई आदेश / 2012 / 5969-73 दिनांक: 27 सितम्बर, 2013

स्थाई आदेश संख्या 09 / 2013

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27 (3) के तहत उप निरीक्षक (श्वानदल) से पुलिस निरीक्षक (श्वानदल) के पद की पदौन्नति सवंर्ग पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यार्थियों को पदौन्नति सवंर्ग पाठ्यक्रम कराने हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 30 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उप निरीक्षक (श्वानदल) से पुलिस निरीक्षक (श्वानदल) पद का पदौन्नति सवंर्ग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा :–

उप निरीक्षक (श्वान दल) से पुलिस निरीक्षक (श्वान दल) पदौन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम

1.	पाठ्यक्रम की कुल अवधि	45 दिन
2.	कार्य दिवस एक सप्ताह में	06 दिन
3.	पाठ्यक्रम के लिए कार्य दिवस	40 दिन (रविवार व अन्य अवकाश छोड़कर)
4.	प्रतिदिन प्रशिक्षण हेतु कालांश	6 कालांश प्रतिदिन
5.	इन्डोर प्रशिक्षण के लिए 40X3	120 पीरियड
6.	आउटडोर प्रशिक्षण के लिए 40X3	120 पीरियड
7.	कुल कालांश	240
8.	इन्डोर /आउटडोर परीक्षाएं	02 दिन

1. इन्डोर प्रश्न पत्र : प्रथम – कानून एवं प्रक्रिया — कालांश – 40 अंकः 30

2. इन्डोर प्रश्न पत्र : द्वितीय – श्वान प्रशिक्षण के संबंध में — कालांश – 80 अंकः 50

(अ) पुलिस के खोजी श्वान व्यवस्था का प्रशिक्षण — कालांश – 30
(ब) मांद (kennel) प्रबन्ध। — कालांश – 20
(स) श्वान का प्राथमिक उपचार। — कालांश – 30

कुल इन्डोर कालांश 120 अंक 80

3. आउटडोर प्रश्न पत्र : प्रथम — कालांश – 70 अंकः 100
श्वान के प्रबंध में संबंध में

(अ) श्वान के प्रशिक्षण के संबंध में : — कालांश – 50
(ब) श्वान का प्राथमिक उपचार एवं मांद (kennel) प्रबन्ध : — कालांश – 20

4. आउटडोर प्रश्न पत्र : द्वितीय
शारीरिक प्रशिक्षण, शस्त्र तथा पुलिस कवायदः — कालांश – 50 अंकः 70

कुल आउटडोर कालांश – 120 अंकः 170

अंको का विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1. कुल अंक	–	250
2. इन्डोर परीक्षा		
इन्डोर प्रश्न पत्र : प्रथम	–	30
इन्डोर प्रश्न पत्र : द्वितीय	–	50
3. आउटडोर परीक्षा		
आउटडोर प्रश्न पत्र : प्रथम	–	100
आउटडोर प्रश्न पत्र : द्वितीय	–	70
कुल अंक	–	250

1. इन्डोर प्रश्न पत्र – प्रथम   कालांश : 40   अंक – 30

कानून एवं प्रकिया

1. भारतीय दण्ड संहिता – अध्याय 2, 8, 16, 17, धारा – 289, 511
2. दण्ड प्रकिया संहिता 1973 धारा 41 से 60, 61 से 66, 107, 109, 110, 114, 122, 129 से 131, 149 से 159, 164 से 166, 436 से 438
3. साक्ष्य अधिनियम – धारा 3, 4, 17, 24 से 27, 32, 45, 46
4. पशु क्रूरता अधिनियम 1960 – धारा 2, 11, 13
5. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 – धारा 4, 7, 8, 10, 12, 13
6. विस्फोटक पदार्थ संस्थाई अधिनियम 1908 – धारा 2, 3, 4, 5, 6
7. पुलिस एक्ट 2007
8. विस्फोटक पदार्थो के प्रकार।
9. मादक पदार्थो के प्रकार।

10 मानव अधिकार, मूलभूत अधिकार, मूलभूत अधिकारों के प्रति कर्तव्य।

11. नेतृत्व – परिभाषा एवं महत्व :

    (क) पुलिस में नेतृत्व का महत्व (ख) पुलिस एक जीवन विधा।

12. प्रशासन एवं नियन्त्रण – आवश्यकता एवं अधिकार।
13. प्रर्यवेक्षण आवश्यकता एवं अधिकार।
14. एक्सप्लोसिव नियम 1983 ।
15. एनडीपीएस एक्ट 1988 ।

2. इन्डोर प्रश्न पत्र – द्वितीय कालांश : 80 अंक –50

श्वान प्रशिक्षण के संबंध में

1. श्वान दल का संगठनात्मक ढ़ांचा।
2. श्वान अभिकर्ता (Handler) का चयन (विधि एवं कार्य प्रणाली)।
3. पुलिस कार्य के लिए श्वान का चयन (मूल्यांकन एवं उसके सिद्वान्त)।
4. श्वान को रखने की जगह का प्रबन्ध तथा सफाई की विस्तृत व्यवस्था विवरण।
5. श्वान दल का गठन तथा उनके परिवहन सम्बन्धी विस्तृत जानकारी।
6. विभिन्न प्रकार की गन्ध, उसके सिद्वान्त और परिभाषाऐं।
7. श्वान पिल्लों को दूध पिलाती मादा श्वान तथा ऊँची नश्ल के कुत्तों की देखभाल।
8. श्वान के बच्चे के रहने की जगह का प्रबन्धन, साफ सफाई तथा श्वान के स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी।
9. श्वान की गर्भावस्था में पर्यवेक्षण तथा नवजात, पिल्लों की देखभाल।
10. श्वान को बहार ले जाते/वापिस लाते समय उनकी मालिस, सफाई, खाने एवं रहने आदि के स्थान आदि का प्रबन्धन, पर्यवेक्षण इत्यादि।
11. सभी प्रकार के पुलिस श्वानों को अभ्यास करवाना व वास्तविक उपयोग के तौर तरीके।
12. साधारण श्वान नस्लों की पहचान व उनके लक्षण।
13. श्वान की शारीरिक रचना।
14. सामान्य प्रबन्धन एवं देखरेख।
15. श्वान को खाना देने का तरीका।
16. श्वान की विशेष देखभाल।
17. श्वान का मनोविज्ञान।
18. श्वान का व्यवहार (मनुष्य व श्वानों के बीच के सम्बन्ध को समझना)।
19. श्वान का रख–रखाव और उनके उपकरण।
20. बीमार श्वान को देखने का प्रबन्धन।
21. श्वान की सामान्य सफाई व्यवस्था।

22. श्वान में आने वाली सामान्य बिमारियों और उनकी रोकथाम।

23. श्वान का प्रशिक्षण।

24. दुर्घटना एवं आपातकालीन व्यवस्थाएँ।

25. सामान्य शल्य रूग्णताएँ।

26. श्वान प्रजनन एवं परिवर्द्धन।

27. पिल्ला प्रबन्ध (Pup Management)

28. खोजो, विस्फोटक एवं मादक पदार्थो के श्वान को प्रशिक्षण के तरीके एवं उनका डिप्लोयमेन्ट का विस्तृत विवरण।

3. आउटडोर प्रश्न पत्र–प्रथम कालांश : 70 अंक – 100

श्वान के प्रशिक्षण के संबंध में

1. प्रशिक्षण में पुलिस श्वान प्रशिक्षक की निर्देशात्मक योग्यता।
2. श्वानों का सामूहिक प्रशिक्षण तथा रात्रि प्रशिक्षण आयोजित करना।
3. अपराधी की खोज, खोज निर्धारण तथा क्रिया–कलाप।
4. मादक पदार्थ के छुपाने के स्थान की तलाशी।
5. छुपे हुए विस्फोटक पदार्थ की खोज एवं वास्तविक स्थितियों में तलाशी।
6. कानून व्यवस्था की परिस्थितियों में भीड़ तथा उग्र भीड़ के नियंत्रण की कवायद।
7. श्वान की मांद का प्रबन्धन एवं स्वच्छता व्यवस्था तैयार करना, भोजन दैना, मांद के रखे की प्रक्रिया आदि।
8. प्रशासन एवं प्रशिक्षण संबंधी अभिलेखों का रख–रखाव।
9. व्यवहारिक रूप से पहचान परेड़, घेराबन्दी तथा तलाश अभियान आयोजित करना।
10. संयुक्त पुलिस गार्ड, पुलिस गश्त, खोजी दल, मादक पदार्थ एवं विस्फोटक पदार्थ, खोजी दल का संगठन (तथा एक युद्धक दल के रूप में भी) व्यक्तियों की सुरक्षा ताकि बम्ब से उडाने की धमकी देने वाले, मादक पदार्थो की तस्करी करने वालों तथा फरार होते अपराधियों को गिरफ्तार करने की विधा की जानकारी।

4. आउटडोर प्रश्न पत्र – द्वितीय कालांश–.50 अंक: 70

शारीरिक प्रशिक्षण, शस्त्र तथा पुलिस कवायद

1. टर्न आउट।
2. श्वान के साथ रिवाल्वर का संचालन।
3. वारदात के स्थान से श्वान हैंडलर व श्वान को इस तरह डिप्लोयमेन्ट करवाना है व क्या–क्या सावधानियाँ बरतनी हैं।
4. विस्फोटक पदार्थ खोजने में सावधानी पूर्वक श्वान व हैडलर का डिप्लोयमेन्ट।
5. नारकोटिक्स खोजने में वायु एवं दूसरी चीजों का सही उपयोग करते हुए श्वान एवं हैण्डलर का डिप्लोयमेंट।
6. 35 वर्ष आयु के लिए 01 कि0मी0 दौड़ 10 मिनिट मे मय श्वान।
7. 35 से 45 आयु के लिए 04 कि0मी0 दौड़ 50 मिनिट में।
8. 55 से अधिक आयु के लिए 04 कि0मी0 दौड़ एक घन्टे में।

(अ) प्रशिक्षण समाप्ति के बाद प्रशिक्षणार्थियों की अन्तिम परीक्षा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) राजस्थान, जयपुर द्वारा गठित बोर्ड द्वारा ली जावेगी।

(ब) अन्तिम परीक्षा हेतु बोर्ड निम्नलिखित अधिकारियों का होगा :–

1. महानिरीक्षक पुलिस	–	अध्यक्ष
2. उप महानिरीक्षक पुलिस	–	सदस्य
3. उप महानिरीक्षक पुलिस	–	सदस्य
4. पुलिस अधीक्षक/उप निदेशक	–	सदस्य सचिव
5. तकनीकी सदस्य : पुलिस निरीक्षक/उप निरीक्षक (श्वानदल)	–	तकनीकी सदस्य

<u>बोर्ड द्वारा निम्न प्रकार परीक्षा आयोजित की जावेगी:–</u>

इन्डोर लिखित परीक्षा – अंक 80

1. इन्डोर प्रश्न पत्र – प्रथम : कानून एवं प्रकिया कालांश : 40 अंक – 30
2. इन्डोर प्रश्न पत्र द्वितीय : श्वान प्रशिक्षण के संबंध में : कालांश: 80 अंक – 50

आउटडोर परीक्षा — अंक 170

3. आउटडोर प्रश्न पत्र : प्रथम श्वान के प्रशिक्षण के संबंध में	कालांश : 70	अंक – 100
4. आउटडोर प्रश्न पत्र : द्वितीय शारीरिक प्रशिक्षण, शस्त्र तथा पुलिस कवायद	कालांश : 50	अंक – 70
	कुल कालांश : 240	अंक – 250

परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश :–

1. अन्तिम परीक्षा कुल 250 अंको की होगी। इन्डोर/आउटडोर में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 45 प्रतिशत अंक एवं कुल इन्डोर/आउटडोर के प्रश्न पत्रों का योग का 50 प्रतिशत (एग्रीगेट) अंक उत्तीर्ण होने के लिये आवश्यक हैं।
2. प्रमोशन केडर कोर्स की अन्तिम परीक्षा में अनुतीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की पुनः परीक्षा के संबंध में स्थाई आदेश संख्या 16/92 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(हरीश चन्द्र मीना)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध/इन्टेलीजेन्स) राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस (कार्मिक/मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर।
4. कमाण्डेण्ट, सुरक्षा प्रशिक्षण स्कूल, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।